न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(नरेश बुनकर आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 08 / 2023
जीसीएमएस न0:– 2023 / 25
दायर दिनांक :– 15 / 02 / 2023
निर्णय दिनांक :– 04 / 09 / 2023

अनवान

1. श्री दयाराम पिता दीपा जाति कलाल आयु 57 वर्ष, निवासी फरालिया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

———अपीलांट

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार देवगढ जिला राजसमन्द

————रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार देवगढ प्रकरण संख्या 312 / 2022, निर्णय दिनांक 11.10.2022

उपस्थित :–

1– श्री अब्दुल हकीम चुडीघर, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री अनिल कुमार बागोरा, राजकीय अधिवक्ता

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक 04.09.2023

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम **दौलपुरा के खसरा नम्बर 1126 रकबा 0.09 किस्म बिलानाम भूमि पर** अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है, पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से **अतिक्रमी** को बेदखल करने एवं भूमि पर अतिक्रमण मानते हुये लगान 1 रूपये का 50 गुणा शास्ति रूपये 50 / – आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 10.11.2022 को पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ठ होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी, अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया है कि अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है, अपीलान्ट मुलतः फरालिया का निवासी होकर वहॉ उसकी पैतृक कृषि भूमिया स्थित है जो पटवार हल्का दोलपुरा के आराजी संख्या 1055 व 1127 में स्थित है, आराजी संख्या 1055 व 1127 के बीच देवगढ से भीलवाडा जाने वाला आम रास्ता 1057 स्थित है, एवं आराजी संख्या 1127 के सटमा पश्चिम की और आराजी संख्या 1126 स्थित होकर यह आराजी संख्या 1126 बिलानाम भूमि है, आराजी नम्बर 1127 के पश्चिमी उत्तरी कोने से सटमा अपीलान्ट का पैतृक मकान स्थित होकर इस मकान में अपीलांट अपने परिवार सहित जन्म से ही निवास कर रहा है, इस मकान पर अजमेर विद्युत वितरण निमग लिमिटेड उपखण्ड देवगढ द्वारा विद्युत संबंध भी स्थापित कर रखा है, अपीलांट के इस पैतृक मकान के निर्माण के समय उसके पूर्वजों ने तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा निर्देशित की यह भूमि आराजी संख्या 1127

की सीमा में आती है, अपने मकान का निर्माण करवाया एवं वक्त निर्माण से ही नियमित रूप से अपीलांट के पूर्व तत्पश्चात् अपीलांट नियमित रूप से निवास कर रहा है, अभी कुछ वर्षो से हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट के इस मकान को आराजी संख्या 1126 में होना बता कर अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान भु राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अवैद्य कब्जे की कार्यवाही न्यायालय तहसीलदार देवगढ के यहा चलाई जबकि अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से यह जानते हुए कि उक्त मकान आराजी संख्या 1127 का हिस्सा है कभी भी अवैद्य नहीं माना इसी संबंध में दिनांक 10.11.2022 की सुनवाई की तारीख का सूचना पत्र अपीलांट को प्राप्त हुआ जिस पर अपीलांट व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं अपना लिखित जवाब एवं शहादत सबुत पेश करने हेतु निवेदन किया एवं आगामी तारीख हेतु अवसर चाहा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने फर्द अहकाम पर अपीलांट के हस्ताक्षर करवा तारीख बाद में नोट करने हेतु आदेश दिया, दुसरे दिन अपीलांट तहसील कार्यालय गया लेकिन बाद में आने का कहने से अपीलांट गुजरात जहॉ उसका व्यवसाय है चला गया, तथा तहसीलदार देवगढ द्वारा बेदखली का आदेश पारित कर दिया, अपीलान्ट का कब्जा काफी पुराना है, एवं नियमन होने योग्य है, फिर भी नियमन का आदेश नही देने में कानुनी भूल की है, अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रकरण संख्या 312/2022 दिनांक 11.10.2022 को अपास्त किया जावें।

राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व ग्राम **राजस्व ग्राम दौलपुरा के खसरा नम्बर 1126 रकबा 0.09 किस्म बिलानाम भूमि** पर अतिक्रमी द्वारा नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त सुनवाई एवं दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रिमी के विरूद्व जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस ,प्रस्तुत विधिक नजीरों, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध, रिकार्ड, एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा **राजस्व ग्राम दौलपुरा के खसरा नम्बर 1126 रकबा 0.09 किस्म बिलानाम भूमि** पर अतिक्रमण है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956, की धारा–91, में की गई बेदखली की कार्यवाही तथा लगान 1 रूपये का 50 गुणा शास्ति रूपये 50/– आरोपित करने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–91, के प्रावधानों व निर्धारित विधिक प्रक्रियानुसार होने से विधि सम्मत है, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं है, अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता हैं, अपील अपीलाण्ट अस्वीकार कर खारीज की जाती है।

04/09/2023

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 04.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया जो शामिल पत्रावली रहे, संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हों। पत्रा0 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर रहें।

04/09/2023

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द